राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 18/2023

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
गोविन्दराम पुत्र मोहनजी जाति दर्जी, निवासी बिठूजा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. सरपंच ग्राम पंचायत बिठूजा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा 2. हेमाराम पुत्र कोलाराम 3. कुम्भाराम पुत्र कोलाराम 4. दुर्गाराम पुत्र कोलाराम 5. देवाराम पुत्र कोलाराम जातियान प्रजापत, निवासीयान बिठूजा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 18 दिनांक 10.12.1997 जो अप्रार्थीगण के नाम ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील K मेराजा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दलपत सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 5 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19.04.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 10.12.1997 के विरूद्ध दिनांक 14.09.2020 न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रथम निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 इस आशय की पेश की कि प्रार्थी ग्राम बिठूजा का निवासी है, जिसका बिठूजा ग्राम की आबादी भूमि में ठाकुरजी मंदिर के पास प्रार्थी के संयुक्त कब्जाशुदा एवं रहवासी भूमि है, जिसके पड़ोस व नाप उतर–दक्षिण 84 फीट एवं पूर्व–पश्चिम 50 फीट, जिसका कुल क्षेत्रफल 4200 वर्गफीट है, पड़ौस बदिशा उतर में सुजाराम प्रजापत बाबुराम पुत्र मोहन एवं नेमाराम लोहार का भूखण्ड, बदिशा दक्षिण में आम रास्ता व उससे आगे रूगाराम

जिला कलक्टर
बालोतरा

दर्जी का परिसर, पूर्व में तोगाराम प्रजापत व ओमाराम दर्जी का परिसर एवं पश्चिम में संतोषदास पुत्र मंछाराम संत का भूखण्ड आया हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रमाण–पत्र की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बिठूजा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी ने अपने रहवासीय विवादित परिसर के चारो ओर बाड़ एवं दिवार कर दरवाजा लगा रखा है तथा अन्दर रहवास हेतु एक पतरो का ढालियां बना रखा है साथ ही परिसर पर पशुओ के लिए चारा व जलाउ लकड़ी एकत्र कर रखी है। उक्त परिसर का प्रार्थी द्वारा लगातार उपयोग व उपभोग करते आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ गलत रूप से सांठ गांठ कर मिसल संख्या शून्य के जरिये प्रस्ताव सं 03 दिनांक 10.12.1997 के अनुसरण में अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा संख्या 18 दिनांक 10.12.1997 को पुरानी आबादी में नियम 158 (ख) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत जारी कर उप पंजीयक जसोल के समक्ष पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थीगण 2 से 5 के नाम से विवादित परिसर का पट्टा जारी कर दिया, जो गलत है। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 का छोटा सगा भाई जगदीश पुत्र कोलाराम है, जो कि वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं जिसने अपने पक्ष एवं प्रभाव का प्रयोग कर एक ही दिन में अपने परिवार में अपने भाईयों अर्थात अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के नाम से आलोच्य पट्टा संख्या 18 एवं स्वयं अपने नाम से पट्टा संख्या 17 जारी दिनांक 10.12.1997 जारी करवाया गया है। उक्त दोनो पट्टों में चिन्हित स्थल अलग अलग है एवं दोनो ही पट्टे पुराने पीढीयों के कब्जे को आधार बनाकर जारी करवाये गये है। ऐसी स्थित में सगे भाई 50 वर्ष पूर्व अलग अलग स्थानों पर रहते हो। पिढियों का एवं पुश्तेनी मकान एक ही स्थान पर होता है। नियमानुसार एक संयुक्त परिवार के सदस्यों को अलग अलग स्थानों पर पटटे जारी नही किये जा सकते है, लेकिन आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी रूप से काबिले अपास्त निरस्त योग्य है

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि आलोच्य पट्टा जारी करते समय पट्टा स्थल के किसी भी पड़ोसी को न तो सुनवाई का कोई अवसर दिया गया और न ही कोई पड़ोसी के बयान लिये गये है। पड़ोसी ने प्रार्थी का विवादित

जिला कलक्टर
बालोतरा

परिसर पर पुराने कब्जा, आधिपत्य एवं रहवास होने की ताईद की है। ऐसी स्थिति में भी अप्रार्थीगण का विवादित परिसर पर कब्जा व आधिपत्य स्थापित नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नियमानुसार कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करवाया। साथ ही नियमानुसार मौका निरीक्षण कमेटी से मौका निरीक्षण हेतु 25 रूपये अदा कर कमेटी का गठन करवाना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मौका निरीक्षण हेतु न तो 25 रूपये अदा किये गए और न ही मौका कमेटी का नियमानुसार गठन किया जा सकता। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का कब्जा रहवास लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है एवं इसके पश्चात भी अप्रार्थी सं 2 से 5 ने अप्रार्थी सं 1 को गलत तथ्य अवगत करवाकर निगरानीकर्ता के हक हिस्से एवं कब्जे रहवास का परिसर हड़प करने के आशय से आलोच्य पट्टा संख्या 18 दिनांक 10.12.1997 जिसे सरपंच ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा जारी किया है को निरस्त करने जो खारिज होने योग्य है।

6. हमने पत्रावली में प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत बिठुजा द्वारा निस्तल सं. 0 पर पंचायत की बैठक में मिसल फैसल दिनांक 10.12.1997 में पारित संकल्प सं. 9 दिनांक 10.10.1997 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 18 दिनांक 10.12.1997 जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत बिठुजा के आदेश क्रमांक/ग्राप/240 दिनांक 05.09.2023 के पत्र में अवगत कराया गया हैं कि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित पट्टा बुक व बैठक कार्यवाही रजिस्टर ही ग्राम पंचायत कार्यायल में उपलब्ध है एवं उक्त पट्टे संबंधी निस्तल ग्रान पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं। अधिनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त कार्यवाही बैठक रजिस्टर एवं निस्तल का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 18 दिनांक 10.12.1997 को जारी किया गया है, जबकि बैठक रजिस्टर में केवल अंतिम बैठक 27.03.1997 तक ही अंकित है एवं उक्त पट्टा जारी दिनांक 10.12.1997 का इन्द्राज बैठक रजिस्टर में नहीं है। साथ ही उक्त आलोच्य पट्टा में निस्तल संख्या भी अंकित नहीं है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं हैं। इस प्रकार पट्टा निस्तल एवं पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर अपूर्ण अंकित दिनांक के अभाव में आलौच्य पट्टा संदिग्ध होना जाहिर होता है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा दिलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पक्ष में ग्राम पंचायत बिठुजा द्वारा आलौच्य पट्टा संख्या 18 दिनांक 10.12.1997 जारी किया गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1

जिला कलक्टर
बालोतरा

ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 18 दिनांक 10.12.1997 को जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से निगरानीकर्ता की और से प्रस्तुत निगरानी स्वीकर कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत बिठुजा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के नाम जारी पटटा संख्या 18 दिनांक 10.12.1997 जारी किया गया को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से पट्टा निरस्त किया जाता है, अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 19.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा